

विधान सभा प्रश्न

|                        |   |                             |
|------------------------|---|-----------------------------|
| विभाग का नाम           | : | लोक निर्माण                 |
| प्रश्न संख्या तारांकित | : | 837 (स्थगित)                |
| उत्तर की तिथि          | : | 05-02-2019                  |
| विषय                   | : | भूमि अधिग्रहण मुआवजा ।      |
| प्रश्नकर्ता का नाम     | : | श्रीमति रीता देवी (इन्दौरा) |
| सम्बन्धित मन्त्री      | : | मुख्य मन्त्री               |

|     | प्रश्न   | उत्तर                                       |
|-----|--|---|
| (क) | यह सत्य है कि इन्दौरा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत NH-21 के अन्तर्गत गांव डमटाल, मोहटली, सूरजपुर व तोकी में भूमि अधिग्रहण हेतु किसानों को 15,000/- रूपये प्रति मरला मुआवजा प्रदान किया गया तथा साथ लगते पंजाब के क्षेत्र में 3,00,000/- रूपये प्रति मरला मुआवजा दिया गया; और | (क) एवं (ख)<br>सूचना एकत्रित की जा रही है । |
| (ख) | यदि हां, तो सरकार पंजाब की तर्ज पर मुआवजा देने हेतु मामला केन्द्र से उठाएगी ?  |   |